भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4028

17.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

4028. **श्रीमती लॉकेट चटर्जी**:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में खासकर खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में भारतीय कामगारों के समक्ष कठिनाइयों का उपयुक्त रूप से समाधान करने और इनको दूर करने के लिए प्रवासी भारतीय सेवा केंद्रों की भूमिका क्या है?

उत्तर

(विदेश राज्य मंत्री)

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) सरकार खाड़ी देशों सहित विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विदेशों में हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की किसी भी शिकायतों की गहनता से निगरानी करते हैं और विदेशों में संबंधित अधिकारियों के साथ इन मामलों को सक्रिय रूप से उठाते रहते हैं।

सरकार ने, खासतौर पर खाड़ी देशों में, भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखने और उन्हें समय पर सहायता प्रदान करने में भारतीय मिशनों / केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें विदेशों में भारतीय मिशनों और केंद्रों में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विदेश में हमारे मिशन / केंद्रों से 24 x 7 हेल्प लाइन सहित संचार के विभिन्न माध्यमों से भी संपर्क किया जा सकता है।

(ii) ऑनलाइन मदद पोर्टल सभी भारतीय नागरिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को अपनी कौंसुली शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने तथा उसके निवारण को ट्रैक करने में सहायता करता है।

(iii) खाड़ी देशों सहित अधिसूचित उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में रोजगार संबंधी शिकायतें सीधे उत्प्रवासी/ द्वारा अथवा उनकी ओस से उनके परिजनों द्वारा ई-माइग्रेट पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। इन शिकायतों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उत्प्रवासन संरक्षक द्वारा सुलझाया जाता है।

(ग) प्रवासी भारतीय सेवा केंद्र (पीबीएसके) निम्नलिखित सहित कई सेवाएँ प्रदान करते हैं:

(i) 24x7 हेल्प लाइन का संचालन;

(ii) भारतीयों की शिकायतों को प्राप्त करना, उनका पंजीकरण करना और उनकी निगरानी करना और जानकारी के लिए पूछताछ हेतु आवश्यक सलाह / समाधान और स्पष्टीकरण प्रदान करना। यदि इनका समाधान नहीं हो पाता है, तो मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए दूतावास / वाणिज्य दूतावास को भेज दिया जाता है;

(iii) कानूनी, वित्तीय, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मामलों पर परामर्श सत्र आयोजित करना;

(iv) रोजगार के दौरान श्रमिकों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों, विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी बातचीत, श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए श्रमिक शिविरों में जागरूकता सत्र आयोजित करना;

(v) भारतीय समुदाय के सदस्यों को सहायता देने के लिए सहायता-समूहों, व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित निकायों के साथ संपर्क करना।

***